

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 212]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 30 अप्रैल 2026 — वैशाख 10, शक 1948

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29 अप्रैल 2026

सूचना

क्रमांक File No.:RULE-8/65/2026-LABOUR— छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क. 21 सन् 2018) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 में संशोधन का निम्नलिखित और प्रारूप बनाना प्रस्तावित करती है और उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व उप सचिव, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

1. नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“4. श्रम पहचान संख्या का पंजीयन प्रमाण पत्र.— (1) श्रम पहचान संख्या का पंजीयन प्रमाणपत्र, नियोजक द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन, आवश्यक दस्तावेजों एवं ई-चालान के माध्यम से भुगतान किए गए शुल्क की प्राप्ति पर, राजस्व प्राप्ति शीर्ष: 0203 श्रम और रोजगार (800) राजस्व एवं अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत, प्रारूप-2 में वेबपोर्टल के माध्यम से 24 घंटे के अंदर जारी किया जाएगा।

(2) वेबपोर्टल के माध्यम से जारी श्रम पहचान संख्या के संबंध में, दुकान एवं स्थापनाओं की पंजी, ऑनलाईन श्रम विभाग के पोर्टल पर, फैंसिलिटेटर कार्यालय द्वारा प्रारूप-3 में संधारित की जाएगी।

(3) इस नियम के अधीन ऑनलाईन जारी श्रम पहचान संख्या प्रमाणपत्र, अधिनियम एवं नियमों के अधीन वैध माना जाएगा।

- (4) यदि नियोजक द्वारा आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी/तथ्य/दस्तावेज मिथ्या, त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक पाई जाती है, तो नियोजक पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
- (5) प्रत्येक दुकान एवं स्थापना के नियोजकों का यह दायित्व होगा कि दुकान एवं स्थापना के सहजदृश्य स्थान पर दुकान एवं स्थापना के नाम के अतिरिक्त पंजीयन प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्रदर्शित करेगा, जो सुलभ पठनीय होना चाहिये।”
2. नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
- “5. **श्रम पहचान संख्या के पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन/परिवर्तन की सूचना.**— (1) दुकान एवं स्थापना के नियोजक द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र में नियोजक/भागीदार का नाम एवं पता, कर्मचारों की संख्या, दुकान एवं स्थापना का पता, कार्य का स्वरूप इत्यादि में संशोधन/परिवर्तन के संबंध में आवेदन प्रारूप-4 में संशोधन शुल्क ₹ 100/- के ई-चालान के माध्यम से भुगतान रसीद सहित श्रम विभागीय पोर्टल में ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाएगा।
- (2) श्रम पहचान संख्या का पंजीयन प्रमाणपत्र, नियोजक द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन, आवश्यक दस्तावेजों, ई-चालान के माध्यम से भुगतान किए गए शुल्क एवं संशोधित आवेदन की प्राप्ति पर, प्रारूप-2 में वेबपोर्टल के माध्यम से, 24 घंटे के अंदर जारी किया जाएगा।”
3. प्रारूप-2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :-

“प्रारूप-2
(नियम 4 (1) देखिये)

छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017
दुकान/स्थापना की श्रम पहचान संख्या के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र

1. श्रम पहचान संख्या एवं दिनांक
2. दुकान/स्थापना का नाम
3. (अ) स्थापना का पूरा पता
- (ब) ई-मेल
- (स) दूरभाष/मोबाईल नम्बर
4. किए जाने वाले कारोबार, व्यापार या वृत्ति का प्रकार
5. स्थापना का स्वरूप – निजी/सार्वजनिक
6. दुकान/स्थापना का प्रकार— दुकान/स्थापना/
निवासयुक्त होटल/रेस्टोरेंट/सिनेमा/
सार्वजनिक आमोद-प्रमोद के अन्य स्थान/अन्य
7. संगठन का प्रकार –
प्रोपराईटर फर्म/भागीदार/सीमित दायित्व भागीदारी
/कंपनी/ट्रस्ट/को-ऑपरेटिव सोसाईटी/बोर्ड
8. (अ) दुकान/स्थापना के प्रारम्भ की तारीख –
- (ब) क्या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948(क. 34
सन् 1948) अथवा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण
उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के तहत
पंजीकृत है –
9. नियोजक/संचालक का नाम एवं पता
10. प्रबंधक/अभिकर्ता का नाम एवं पता
11. स्थापना में नियोजक (भागीदार/अंशधारी), ...

यदि कोई हो, के रूप में हित रखने अन्य व्यक्ति
 का, यदि कोई हो नाम/पद/पता

12. स्थापना का मुख्यालय, यदि कोई हो, का विवरण

13. कर्मचारों की संख्या

स.क्र. (1)	वर्गीकरण (2)	महिला (3)	पुरुष (4)	योग (5)
1	नियमित/प्रत्यक्ष कर्मचारी			
2	संविदा कर्मचारी			
3	अंशकालिक कर्मचारी			
4	शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के तहत कार्यरत कर्मचारी			
5	अन्य			
	कुल योग			

14. सप्ताहिक अवकाश

यह प्रमाणित किया जाता है कि दुकान/स्थापना, जिसके विवरण ऊपर दिये गये हैं, नियोजक द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत जानकारी/घोषणा/सूचना के आधार पर, छत्तीसगढ़ दुकान तथा स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्र. 21 सन् 2018) सहपठित छत्तीसगढ़ दुकान तथा स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 के अधीन दिनांक/...../..... को सूचना आधारित श्रम पहचान संख्या का पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। इस प्रमाणपत्र के आधार पर किसी भी सम्पत्ति, दुकान, स्थापना अथवा नाम के दावे को प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

फैसिलिटेटर

यह प्रमाणपत्र, स्वघोषणा के आधार पर सिस्टम-जनरेटेड, सूचना आधारित पंजीयन प्रमाणपत्र है। किसी भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विपुल कुमार गुप्ता, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 29th April 2026

NOTICE

File No. RULE-8/65/2026-LABOUR.— The following further draft amendment in the Chhattisgarh Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2021, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 28 of the Chhattisgarh Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017 (No. 21 of 2018), is hereby published as required under Section 28 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period during office hours, by Office of the Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Labour, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

1. For rule 4, the following shall be substituted, namely:-

“4. Registration Certificate of Labour Identification Number.-(1) A Labour Identification Number Registration Certificate shall be issued within 24 hours through the web portal in Form-2 upon receipt of an online application, necessary documents and fee deposited through e-challan under the revenue head: 0203 Labour and Employment (800) Revenue and other receipts by the employer in the prescribed format.

(2) A register of shops and establishments with respect to the Labour Identification Number issued through the web portal shall be maintained online on the portal of Labour Department by the Facilitator's Office in Form-3.

(3) The Labour Identification Number certificate issued online under this rule shall be considered valid under the Act and Rules.

(4) The employer shall be fully responsible if the information/facts/ documents provided in the application are found to be incorrect, erroneous or misleading.

(5) It shall be responsibility of the employer of every shop and establishment to compulsorily display the registration certificate in addition to the name of the shop and establishment at a conspicuous place in the shop and establishment, which should be legible.”

2. For rule 5, the following shall be substituted, namely:-

“5. Notice of amendment/change in the Registration Certificate of Labour Identification Number.-(1) The application in Form-4 shall be submitted online by the employer of shop and establishment on the portal of Labour Department along with the payment receipt of amendment fee ₹ 100/- through e-challan regarding amendment/change in name and address of employer/partner, number of workers, address of shop and establishment, nature of work etc. in the registration certificate.

(2) A Labour Identification Number Registration Certificate shall be issued within 24 hours through the web portal in Form-2 upon receipt of an online application, necessary documents, fee deposited through e-challan and amendment application by the employer in the prescribed format.”

3. For Form-2, the following shall be substituted, namely:-

“FORM-2
(See rule 4(1))

Chhattisgarh Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017 Registration Certificate for Labour Identification Number of Shop/Establishment

1. Labour Identification Number and Date -
2. Name of the shop/establishment -
3. (a) Complete address of the establishment -
(b) e-mail -
(c) Telephone/Mobile Number -
4. The nature of the business, trade or profession carried on -
5. Nature of establishment Private/Public -
6. Type of Shop/Establishment- Shop/Establishment/Residential Hotel/
Cinema/Restaurant//Other Place of Public Entertainment/Other -
7. Type of Organization Proprietor Firm/Partnership/Limited Liability Partnership/Company/Trust/Co-operative Society/Board -
8. (a) Date of opening of shop/establishment -

(b) Whether registered under the Employees' State Insurance Act, 1948 (No. 34 of 1948) or the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (No. 19 of 1952)

9. Name and address of the employer/manager
10. Name and address of the manager/agent
11. Employer (partner/shareholder) in the establishment, Name/position/address of other person having interest, if any, as
12. Details of the Headquarters of the establishment, if any.
13. Number of workers -

S. No.	Classification	Female	Male	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Regular/Direct Employees			
2.	Contract worker			
3.	Part-time employee			
4.	Employees employed under the Apprentices Act, 1961 (No. 52 of 1961)			
5.	Other			
	Grand total			

14. Weekly Holidays -

It is certified that the shop/establishment, the details of which are given above, based on the information/declaration/facts submitted by the employer along with the online application, is issued an information based labour identification number registration certificate on date...../...../..... under the Chhattisgarh Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017 (No. 21 of 2018) read with Chhattisgarh Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2021. This certificate shall not confer any right to claim any property, shop, establishment or name.

Facilitator

This certificate is a system-generated, information-based registration certificate based on self-declaration. Does not require any physical signature.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIPUL KUMAR GUPTA, Deputy Secretary.